जिला सूचना कार्यालय, बहराइच।

स्टैण्ड अप योजना के लिए शासन ने आवंटित किया लक्ष्य

☞ **अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला उद्यमी होंगी पात्र**

☞ 101 लोगों को मिलेगा लाभ

दिनांक :– 17-05-2018

बहराइच। वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए जनपद बहराइच को स्टैण्ड अप योजना के तहत 101 का लक्ष्य आवंटित हुआ है। स्टैण्ड अप योजना के तहत अनुसूचित जाति/जनजाति तथा महिला उद्यमी पात्र होंगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक अभ्यर्थी को 10 प्रतिशत मार्जिन मनी (स्वयं का अंशदान) देना होगा।

यह जानकारी देते हुए जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बहराइच के उपायुक्त ने बताया कि स्टैण्ड अप योजना के तहत चयनित पात्र लाभार्थियों को परियोजना स्थापना के लिए रू. 10.00 लाख से रू. 01.00 करोड़ तक का ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किये जाने का प्राविधान है। योजनान्तर्गत प्रस्तावित उद्यम, विनिर्माण, सेवा या व्यापार क्षेत्र से सम्बन्धित हो सकते हैं। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी किसी भी कार्य दिवस में जिला उद्योग एवं उद्यम प्रोत्साहन केन्द्र, बहराइच में सम्पर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

::

मोबाइल नम्बर 9453005402, दूरभाष नम्बर–05252 2329901, ई–मेल आईडी– dio.bahraich@gmail.com